

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक: 250/वि०-17-21/2025/68/पं०रा०

पटना, दिनांक 30/1/2026


राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस क्रम में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

निर्माण कार्य में तीव्रता लाने एवं मानक प्राक्कलन में उल्लेखित विशिष्टताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक-12.02.26 को निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की जाँच हेतु विभाग स्तर से जाँच दल का गठन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	आवंटित पंचायत
1.	(i) श्री सुमाष कुमार शर्मा	संयुक्त सचिव	ग्राम पंचायत-मानिकपुर, प्रखंड-गोपालगंज सदर, जिला-गोपालगंज।
	(ii) श्री मोहित कुमार	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	

निदेशानुसार उपर्युक्त गठित टीम दिनांक-12.02.26 को आवंटित पंचायत में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में विभाग को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायेंगे।


विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 250/वि०-17-21/2025/1232/पं०रा०

पटना, दिनांक 30/1/2026

प्रतिलिपि : गठित टीम के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 250/वि०-17-21/2025/1232/पं०रा०

पटना, दिनांक 30/1/2026

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नजर हुसैन)
अपर सचिव

क०पृ०उ०


ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-21/2025/1939 पं०रा० पटना, दिनांक 30/1/2026
प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त जाँच टीम को यथावश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव


ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-21/2025/1939 पं०रा० पटना, दिनांक 30/1/2026
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जाँच टीम से समन्वय कर निरीक्षण के समय निरीक्षण स्थल पर कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता को उपस्थित रहने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-21/2025/1939 पं०रा० पटना, दिनांक 30/1/2026
प्रतिलिपि : निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त गठित जाँच दल हेतु विभाग स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-21/2025/1939 पं०रा० पटना, दिनांक 30/1/2026
प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)
अपर सचिव



सचिव

पंचायती राज विभाग

कोषांग

ई-ऑफिस द्वारा सं० 5048183

दि० 12/1/26

पीत पत्र के बदले में

05/01/26
7/4
[Handwritten signature]

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

1-3 (N.14)
54-2

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक-05.01.2026 को गोपालगंज जिला के गोपालगंज सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत-मानिकपुर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में कार्यस्थल पर कई त्रुटियाँ पाई गयी।

अतएव उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर विभाग स्तर से जाँच टीम का गठन करते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

मंत्री कोषांग
पंचायती राज विभाग
मैसर्स कोषांग 137
दिनांक 08.01.2026

Rajesh kishan
08/01/2026
(राजेश किशन) बि.बा.वि.से.
माननीय मंत्री के आप्त सचिव
पंचायती राज विभाग

श्री 215
3
[Handwritten signature]
14/1/26

188
16/01/26

(17)

दिनांक 05.01.2025 को गोपालगंज जिले के गोपालगंज सदर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज, मानिकपुर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन :-

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार
2. यह पंचायत सरकार भवन LAEO के द्वारा निर्माणाधीन है।
3. इसका प्रथम तल का मूल ढांचा निर्मित है।
4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि
 - i. माननीय मंत्री जी ने AE, LAEO से Construction Plan की मांग किया। Construction Plan के उपलब्ध कराए जाने पर माननीय मंत्री जी द्वारा उसका गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।
 - ii. संरचना के अन्दर प्रवेश करने के पश्चात् यह पाया गया कि अभी बांस बल्ली और Shuttering लगा हुआ है।
 - iii. Construction Plan में एक hole छोड़ना था जो वास्तविक Construction में नहीं पाया गया - इस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा पृच्छा की गई तो AE के द्वारा बताया गया कि इसका design defined नहीं होने के कारण इसे नहीं रखा गया। इसपर माननीय मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर किया और कहा कि आपको इस design का purpose पता करना चाहिए था।
 - iv. उन्होंने इस संबंध में drawing plan अपनी मनमर्जी से बदलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
 - v. इसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा structure frame को ध्यान से देखा गया और उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले दीवार खड़ा कर दिया गया है और beam बाद में ढाला गया है। यही निष्कर्ष उनके द्वारा joints के condition को देखकर निकाला गया तथा इंगित किया गया कि Brick work पहले कर लिया गया है और उसके ऊपर beam की ढलाई कर दी गई है, जो कि बिलकुल ही गलत है। इसपर सहायक अभियंता द्वारा Shuttering संबंधी समस्या को मुख्य कारण बताया गया और असत्य वाचन किया गया कि Brick work बाद में हुआ है और beam पहले ढलाया है।
 - vi. इसके पश्चात् माननीय मंत्री ढलाई वाले छत पर गए और वहाँ पानी जमा देखकर उन्होंने पूछा कि ढलाई कब की गई थी? इसपर कनीय अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ढलाई 10 दिसम्बर को हुई है तो माननीय मंत्री ने पृच्छा की कि Shuttering कितने दिनों बाद खोलना होता है? अभियन्ता ने उत्तर दिया कि 21 दिनों के पश्चात् इसे खोला जाता है। तब माननीय मंत्री ने पुनः प्रश्न किया कि 10 दिसम्बर से अभी तक 24 दिन हो चुके हैं और अभी Shuttering नहीं खुला है तो फिर दीवार कैसे खड़ा कर दिया गया है? इस पर काम कर रहे मिस्त्री ने बताया कि दीवार पहले जोड़ दिया गया था, छत की ढलाई बाद में हुई है। स्पष्ट है कि

[Signature]



अभियन्ता के द्वारा इस संबंध में असत्य वाचन किया गया था कि ढलाई पहले की गई थी और दीवार बाद में जोड़ा गया। इस असत्य वाचन पर माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया।

vii. इसके पश्चात् माननीय मंत्री जी ने छड़ों की मोटाई एवं माप के बारे में पृच्छा की। और उन्होंने यह भी पृच्छा की कि किन अभियन्ता के नेतृत्व में दीवार पहले बनी? छत पर पानी देखकर पुनः माननीय मंत्री जी के द्वारा ढलाई की तिथि पूछी गई तो इस बार ढलाई की तिथि 17 दिसम्बर बताई गई। स्पष्ट है कि कनीय अभियन्ता के द्वारा निम्न दो बिन्दुओं पर पूर्ण रूप से असत्य वाचन किया गया :-

क. ढलाई की तिथि

ख. Beam की ढलाई पहले की गई और दीवार बाद में बनाया गया (जबकि वास्तव में दीवार पहले बना दी गई थी और beam की ढलाई बाद में की गई थी)।


viii. इसके पश्चात् माननीय मंत्री जी द्वारा छत पर Toilet इत्यादि के site को भी गंभीरता से देखा गया।

ix. प्रथम तल्ले पर पिलर के लिए जो छड़ निकाले गए थे उसमें ring बाँधने के तरीके को भी गलत पाया गया। उपस्थित अभियन्ता ने जब यह कहा कि इसे सुधार दिया जाएगा तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिसपर ढलाई कर दी गई उसे आप कैसे सुधारेंगे? इस पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। दूसरे पिलर के छड़ में भी छोटा वाला ring नहीं पाया गया। माननीय मंत्री जी ने निष्कर्ष दिया कि नीचे का beam और छत पर के beam में alignment सही नहीं है और छड़ की स्थिति को देख कर माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि frame की संरचना का alignment सही नहीं है और यह भवन भूकम्परोधी भी नहीं है।

x. इसके पश्चात् माननीय मंत्री जी द्वारा खिड़की के लिए छोड़े गए स्थान की माप कराई गई। इसका size भी Construction Plan के अनुसार नहीं था। इसकी ऊँचाई 1720 इंच पाई गयी जो कि ढलाई होने के बाद लगभग 1620 इंच ही बचने की सम्भावना है। इस पर भी माननीय मंत्री जी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

xi. एक स्थान पर Construction Plan के अनुसार vent छोड़ना था उसे भी नहीं छोड़ा गया था। अब चूँकि beam की ढलाई हो जाने के पश्चात् vent छोड़ना भी सम्भव नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी Construction Plan का उल्लंघन किया गया है।

इस निरीक्षण के पश्चात् माननीय मंत्री जी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को तमाम बातों को अंकित करने का निर्देश दिया।


5.1.26

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मेरठ